न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 48 / 2022

अपीलार्थीगण –	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
1. बाबूलाल पुत्र खींयाराम 2. जगदीश पुत्र रूपाराम 3. पूनमचंद पुत्र रूपाराम जाति बिश्नोई निवासी बारूड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.05.2022 जो प्रकरण सं. 02 / 2022 में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भाखरराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदात्ता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.02.2023

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण सं. 02 / 2022 सरकार बनाम बाबूलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का भाखरपुरा द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बारूड़ी के खसरा [illegible] 240/2[illegible] 0.8094 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन मैदान में से 0.27[illegible] द्वारा अपीलाधीन सिवाय चक भूमि पर अवैध [illegible] एवं कब्जा [illegible]कर ली है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायलान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं गैर सायलान के जवाब का परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 26.05.2022 के द्वारा 50 / – रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने दिनांक 08.08.2022 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थीगण की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई विश्लेषण किये कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण अन्य पिछड़ी जाति के ग्रामीण काश्तकार हैं जिनका हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर बाड़ नहीं की गई है। अपीलाधीन भूमि के मौके पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बारूड़ी अवस्थित है जिसके भू–भाग पर चारदीवारी एवं विद्यालय के कक्ष बने हुए हैं जिनमें छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं। यदि विद्यालय के किसी भू–भाग पर अतिक्रमण किया गया होता तो तहसीलदार के समक्ष संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य [illegible] अतिक्रमण हटाने संबंधित आवेदन पेश किया जाता, [illegible] प्रकरण में स्थानीय राजनीतिक दबाव एवं व्यक्ति विशेष के दबाव में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

है जिस पर नायब तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलधीन आदेश पारित किया गया है। नायब तहसीलदार गुडामालानी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलकर्तागण को दिनांक 05.05.2022 को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्राप्ति पर अपीलाकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब एवं मौखिक निवेदन किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्तागण को आश्वासन दिया गया कि वे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें, मौके पर स्वयं आकर जाँच की जायेगी एवं आदेश पारित किया जावेगा। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की जाँच किये एवं अपीलकर्तागण को साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही एक तरफा आदेश दिनांक 26.05.2022 को पारित कर दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एक तरफा रूप से पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि दिनांक 14.07.2022 को जब हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्तागण से 50/– रूपये जुर्माना राशि जमा करने की मांग की तब ही उन्हें सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की नकल मांगने पर उन्हें दिनांक 14.07.2022 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित होने की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाई जाने एवं अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखे जाते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध हल्का पटवारी के आधार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा मौजा [illegible] खसरा नम्बर 240/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन मैदान में से 0.2752 हैक्टेयर भूमि पर गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

सायलान द्वारा अपीलाधीन राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा–काश्त कर अतिक्रमण कर बाड़ का निर्माण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलकर्तागण को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलकर्तागण द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत जवाब तथ्यों के परे एवं प्रतिरक्षण का ठोस आधार नहीं होने से अपीलार्थीगण को मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप हक स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। इस पर अपीलार्थीगण पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन खसरा नम्बर 240 / 2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन मैदान में से 0.2752 हैक्टेयर भूमि पर अपीलकर्तागण द्वारा बाड़ निर्माण कर अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी भाखरपुरा द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलकर्तागण का कथन है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से धारा 91 के नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया हैं। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलांट का कथन हैं कि उक्त भूमि के मौके पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बारूड़ी [illegible] है जिसके भू–भाग पर चारदीवारी एवं विद्यालय [illegible] बने हुए हैं [illegible]में छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं। यदि विद्यालय के [illegible]क्रमण किया गया होता तो तहसीलदार के समक्ष संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अतिक्रमण हटाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

संबंधित आवेदन पेश किया जाता, जबकि हस्तगत प्रकरण में स्थानीय राजनीतिक दबाव एवं व्यक्ति विशेष के दबाव में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है जिस पर नायब तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलधीन आदेश पारित किया गया है। जहां तक राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न हैं तो हल्का पटवारी के संज्ञान में आने पर समस्त प्रकार की राजकीय भूमियों पर होने वाले अतिक्रमण की सूचना/रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करने का पदीय दायित्व हैं, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने कब्जे के बाबत स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2022 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर